FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5 FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(59)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २०१० कि अपील 344-I/10

१- बंशीलाल । पुत्रगण कन्हैयालाल महाजन
२- राजमल ।
निवासीगण संजय कालोनी, शामगढ़, तेहसील-शामगढ़, जिला मन्दसौर-मध्यप्रदेश ।

------अपीलान्टस्

विरुध्द

शिवनारायण पुत्र मोहनलाल मृत वारिसान-

१- शकुन्तला बेवा शिवनारायण निवासिन शामगढ़ जिला मन्दसौर-मध्यप्रदेश

२- श्रीमती कमला पत्नी मोहनलाल जी उदिया निवासिनी- खड़ावदा रोड, गरोठ तेहसील-गरोठ, जिला मन्दसौर-मध्यप्रदेश ।

३- श्रीमती रूकमण पत्नी बंशीलाल सेठिया, निवासिनी ३१, अरिहन्त कालोनी, जावरा, जिला रतलाम-म०प्र० ।

४- श्रीमती सुशीला पत्नी रामेश्वर प्रसाद जी गुप्ता, निवासिनी सावन जिला नीमच म०प्र०।

५- श्रीमती मनोरमा पत्नी विजय कुमार राजी-पोरवाल निवासिनी ७१७, द्वारिकापुरी, साठफिटा रोड, इन्दौर-म०प्र० ।

६- कृष्ण गोपाल मुजावदिया पुत्र शिवनारा (कम्पनी सेक्रेटरी) ४१०, आशिर्वाद अपार्ट ३७, कैलाश पार्क कालोनी, इन्दौर-मध्यप्र

७- मनोज कुमार । पुत्रगण लक्ष्मीनारायण
८- कृष्णकुमार ।

344 कु निगम/ अभिभाषक
दि० 23/3/10 श्री प्रस्तुत ।
23-3-10
सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

23/3/10

23/3/10

A 344-I/10 जिला [illegible]

23.2.16	आवेदक अभि० श्री [illegible] की ओर से श्री [illegible] उपस्थित। अनावेदक 1 से 16 की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता [illegible] उपस्थित। अनावेदक क्र 17 शासन की ओर से श्री [illegible] पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषक	

[कृ. प. उ.

A344-I/10 जिला अल्मोड़ा

द्वारा पक्षकारों के मध्य हुये
राजीनामे की छाया प्रति प्रस्तुत की
गई। और उनके द्वारा निवेदन
किया गया कि राजीनामे के
आधार पर प्रकरण को समाप्त
कर दिया जाये। उभय पक्ष
अधि० के निवेदन एवं उनके
द्वारा प्रस्तुत राजीनामा की
छाया प्रति के आधार पर
प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त
किया जाता है। अधिनस्थ
न्यायालय का अभिलेख
मय आदेश प्रति के वापस
किया जाये। प्रकरण दाखिल
रिकार्ड हो।

[signature]